

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फॅक्स नं.-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/18805

दिनांक :- 16/2/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के प्रशासनिक/कार्यव्यवस्था के तहत स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्रीमती गनीषा चौधरी	राजस्व निरीक्षक	जयपुर	जालौर
2.	श्री अरुण शर्मा	कार्यालय सहायक	सुमेरपुर	भीनमाल
3.	श्री रविन्द्र ओटवाल	स्वास्थ्य निरीक्षक	मुकुन्दगढ़	जोधपुर

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेवारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवागिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का युगताग किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनगोमी/राविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्ययुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किरी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/18806-823 दिनांक:- 16/2/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
5. महापौर/समापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसापी अधिकारी/ नगर निगम/
6. परिषद/पालिका, जयपुर/जोधपुर/जालौर/सुमेरपुर/भीनमाल/मुकुन्दगढ़।
7. संबंधित कर्मचारी.....।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)